न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2025/23
दायरा तिथि : 01.01.2025
आदेश तिथि : 24-09-2025
प्रार्थी :–

रोमा पत्नी तेजराज चौधरी जाति चौधरी निवासी जोधपुर जिला जोधपुर

ब ना म

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान कांश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांक: 24-09-2025

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम मोरीबेडा स्टेशन पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 1266, 1267 कुल रकबा 0.9400 हैक्टर एवं खसरा नंबर 1269, 1271 कुल रकबा 1.4600 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम मोरीबेडा स्टेशन पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 1255/1 रकबा 1.1192 हैक्टर, खसरा नंबर 1263 रकबा 1.1200 हैक्टर, खसरा नंबर 1264 रकबा 0.3700 हैक्टर एवं खसरा नंबर 1270 रकबा 0. 3700 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे निरीक्षक भू–अभिलेख बेडा को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली ने जांच कर अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2025/2143 दिनांक 15.07.2025 से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। वकील अप्रार्थी द्वारा मौखिक रूप से आपत्ति करने के आधार पर निरीक्षक भू–अभिलेख बेडा से पुनः मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर रिपोर्ट तलब करने के निर्देश दिये गये। निरीक्षक भू–अभिलेख बेडा की पुनः जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. आवेदक की धारित भूमि में आवागमन के लिये राजस्व रेकर्ड में कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। पडौस में ही स्थित गै.मु.नाला एवं राजकीय सिवायचक भूमियों से आवेदक आना जाना करता है।
2. यह है कि, प्रस्तावित रास्ता ही एकमात्र निकटतम विकल्प है। इससे कम दूरी का रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं है।
3. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	1263	1.12 हैक्टर	गै.मु. मगरा	56X09=504 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
2	1264	0.37 हैक्टर	बा.दो.	13X09=117 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
3	1270	0.13 हैक्टर	गै.मु. मगरा	28X09=252 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

4. यह कि निरीक्षक भू–अभिलेख बाली द्वारा प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर 1,30,000/– रूपये प्रति हैक्टर है।
5. यह है कि, प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाले भू–भाग पर निर्माण कार्य, वृक्ष या अन्य कोई क्षति नहीं है।

पेज लगातार.........02

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड़ अधिकारी, बाली

(मुहर: न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी, बाली जिला-पाली)

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2025/379

अनवान रोगा बनाम सरकार

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण मे अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से वकील श्री नरपतसिंह चौहान ने वकालतनामा पेश किया। वकील अप्रार्थी द्वारा मौखिक रूप से आपत्ति पेश कर अवगत करवाया कि प्रार्थी के आने जाने हेतु अन्य जगह से रास्ता मौजूद है। वकील अप्रार्थी की आपत्ति के आधार पर निरीक्षक भू–अभिलेख बेडा से पुनः जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। वकील अप्रार्थी ने निरीक्षक भू–अभिलेख बेडा की पुनः जांच रिपोर्ट में राजकीय सिवायचक भूमि से रास्ता दिये जाने पर कोई आपत्ति पेश नहीं की। वकुलाय की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम मोरीबेडा स्टेशन पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 1266, 1267 कुल रकबा 0.9400 हैक्टर एवं खसरा नंबर 1269, 1271 कुल रकबा 1.4600 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से निरीक्षक भू–अभिलेख बेडा द्वारा जांच के पश्चात् नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकः प.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम मोरीबेडा स्टेशन पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 1266, 1267 कुल रकबा 0.9400 हैक्टर एवं खसरा नंबर 1269, 1271 कुल रकबा 1.4600 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम मोरीबेडा स्टेशन पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 1263 रकबा 1.12 हैक्टर, खसरा नंबर 1264 रकबा 0.37 हैक्टर एवं खसरा नंबर 1270 रकबा 0.13 हैक्टर में से **504+117+252=873 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 2,36,000/–रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
1263	1.12 हैक्टर	56X09=504 वर्गमीटर	13	6552X2=13104	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
1264	0.37 हैक्टर	13X09=117 वर्गमीटर	13	1521X2=3042	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
1270	0.13 हैक्टर	28X09=252 वर्गमीटर	13	3276X2=6552	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 22698/– (अक्षरे बाईस हजार छः सौ अठानवे रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। निरीक्षक भू–अभिलेख बेडा द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(दिनेश बिश्नोई)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाली

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2025/379

अनवान रोमा बनाम सरकार

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

क्रमॉक/कोर्ट/2025/1285-1289 दिनांक : 24-09-2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 बेडा
3. पटवारी हल्का, दूदनी
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक रोमा पत्नी तेजराज चौधरी जाति चौधरी निवासी जोधपुर जिला जोधपुर को सूचनार्थ।

कार्यालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 16/09/2025 09:24:22 PM

तहसील : बाली

भू. अ. नि. क्षेत्र : बेडा

ग्राम : मोरी बेडा स्टेशन

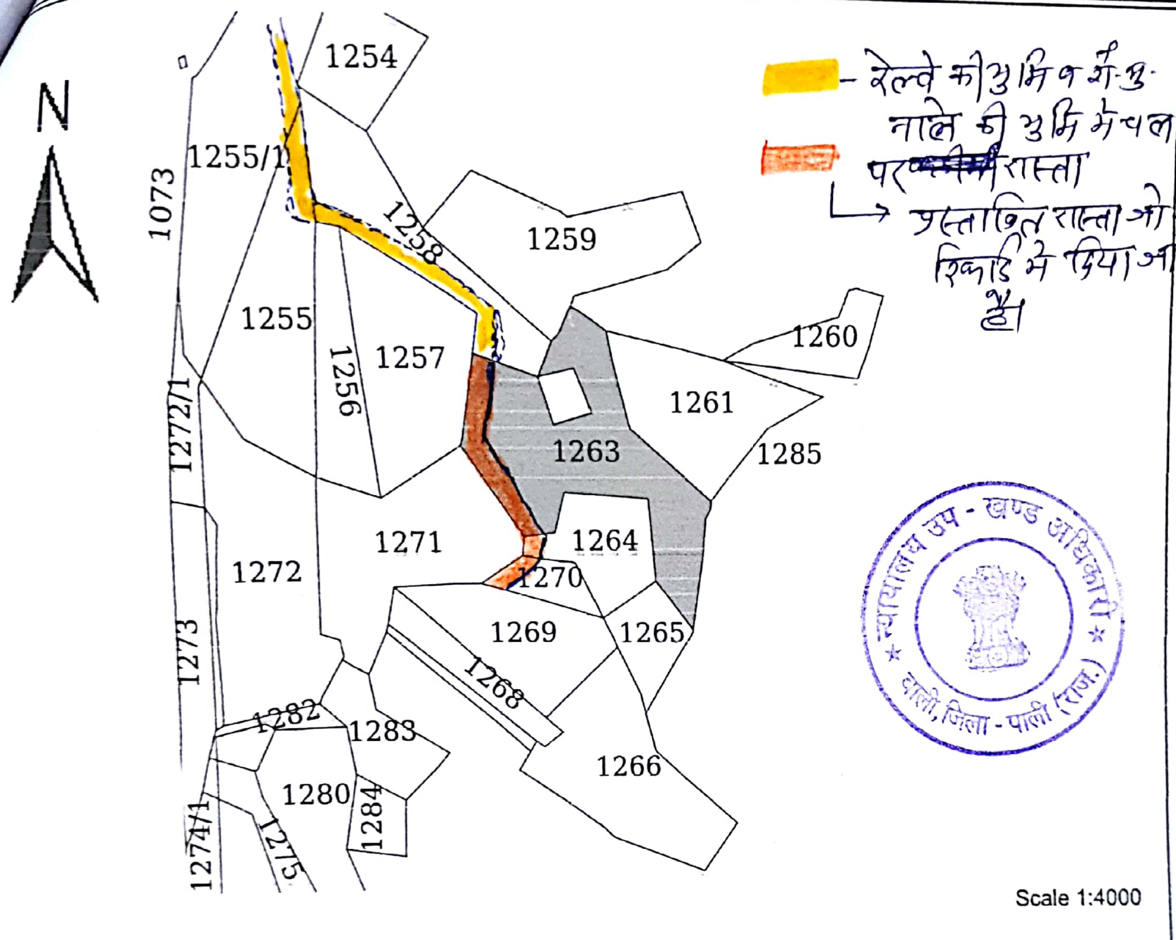

खसरा संख्या :1263 क्षेत्रफल : 1.1200 Hectare खाता संख्या : 1 पुराना खाता संख्या : 1

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: गै.मु.मगरा [1.1200]

राज. सरकार

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी,बाली

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

Scanned by CamScanner